न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 86/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/209

प्रार्थीयाः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

1. फुलीदेवी पत्नी पन्नालाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम गुडा जैतसिंह तहसील रानी जिला पाली

1. हुलासी पत्नी पेमाराम पारंगी जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुडा जैतसिंह हाल सोमेसर, तहसील रानी, जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 12/2021–2022, संकल्प संख्या 03 दिनांक 07.06.2021 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 हुलासी पत्नी पेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया का ग्राम गुडा जैतसिंह ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) में एक खरीदशुदा भुखण्ड आया हुआ है। जिसे प्रार्थीया ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2020 के द्वारा घेवरचन्द से क्रय किया था। घेवरचन्द ने उक्त भूखण्ड मोहम्मद सलीम से दिनांक 24.02.2012 को क्रय किया था। उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 374/1 में काटे गये प्लान बाबा रामदेव नगर सरहद भादरलाउ के भूखण्ड संख्या 2 जिसका नाम 30 बाई 40 फीट यानि 1200 वर्गफीट है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) में ग्राम पंचायत से साठ–गांठ कर जैर आराजी का नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त भूखण्ड तो प्रार्थीया ने दिनांक 20.07.2020 को ही क्रय कर लिया था, जैर निगरानी पट्टे के पडौस एवं प्रार्थीया के पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित पडौस भी समान है। सम्पूर्ण आदेशिक एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है तथा आदेशिका दिनांक 20.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 में मौका निरीक्षण हेतु जिन पंचों को नियुक्त किया गया था मौका निरीक्षण प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर न होकर किसी और के ही हस्ताक्षर है। साथ ही उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीया का

अति. जिला कलेक्टर पाली

केवल 15 वर्ष पुराना ही कब्जा है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना, बिना किसी आवेदन, बिना मौका निरीक्षण, बिना नक्शे, बिना आपत्ति ईश्तहार के जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो विधिविरूद्ध है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2012 73 RCR(Civ) 944; 2013 1 RLW(RJ) 243; 2012 5 WLC 663, 2012 2 RLW(RJ) 850 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया का खरदीसुदा भुखण्ड सरहद भादरलाउ में आया हुआ है जबकि जैर निगरानी भूखण्ड ग्राम सोमेसर में है अथा्र्त दोनो भूखण्ड अलग–अलग है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार पट्टा बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाही कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो नियमानुसार सहीं है। आदेशिका दिनांक 20.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 में मौका निरीक्षण हेतु जिन पंचों को नियुक्त किया गया था मौका निरीक्षण प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर न होकर किसी और के ही हस्ताक्षर है यह एक तकनीकी त्रुटि है केवल इस आधार पर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिये जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैन निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 12/2021–2022, संकल्प संख्या 03 दिनांक 07.06.2021 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 हुलासी पत्नी पेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीया की मुख्य आपत्ति यह थी कि प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 374/1 की सम्परिवर्तित भूमि में घेवरचन्द से भूखण्ड संख्या 2 जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2020 को क्रय किया था एवं उसी भूखण्ड पर ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया परन्तु पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2020 के पेज नम्बर 2 पर अंकितानुसार सरहद भादरलाउ तहसील रानी में खसरा नम्बर 374/1 की आबादी भूमि बाबा रामदेव नगर में भूखण्ड संख्या 2 व 3 है तथा घेवरचन्द ने उक्त भूखण्ड मोहम्मद सलीम से क्रय किया था उस विक्रय विलेख में पेज नम्बर 4 पर अंकितानुसार "विक्रय सुदा प्लॉट गांव भादरलाउ की अविकसित व नवसृजित संपरिवर्तित सुदा आबादी भूमि प्लान बाबा रामेदव नगर में आये हुए है।" श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 29.02.2020 के अनुसार भी खसरा नम्बर 374/1 की भूमि ग्राम भादरलाउ में स्थित है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे का भूखण्ड एवं प्रार्थीया द्वारा खरीदसुदा भूखण्ड दोनो अलग–अलग जगह पर अवस्थित है। साथ ही वक्त बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि जैर निगरानी पट्टा सोमेसर का है जबकि प्रार्थीया का पंजीबद्ध विक्रय विलेख भादरलाउ का है। जिससे प्रथम दृष्टया ही अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य विरोधाभाषी होने से ही जैर निगरानी खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसके अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास रू. 100/– वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

जिसके सम्बन्ध में मिसल में सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा सुदा रहवासी मकान मानते हुये की गयी तथा सम्पूर्ण जांच के पश्चात अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस यह उज्र किया कि मौके पर जैर भूखण्ड पर कोई मकान नहीं है केवल खाली भूखण्ड ही है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थीया ने ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सुस्पष्ट हो सके कि मौके पर केवल खाली भुखण्ड ही है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार सही होने से न्यायोचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.04.2021 को ग्राम सोमेसर की आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय मकान का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी पालना में मिसल कायम की गयी। प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा मिसल संख्या 12/2021–22 मौका निरीक्षण हेतु जिन पंचगणों को नियुक्त किया गया, के नाम प्रस्ताव में अंकित किये गये है परन्तु निरीक्षण रिपोर्ट पर नियुक्त पंचगणो में से केवल 1 पंच के ही हस्ताक्षर है शेष 2 हस्ताक्षर अन्य वार्डपंच के है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में जारी नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर एवं सायल के हस्ताक्षर मौजुद है। साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु भी ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया है। अर्थात् ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। केवल मात्र मौका निरीक्षण प्रपत्र पर किन्ही अन्य 2 वार्डपंच के हस्ताक्षर के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया का खरीदसुदा भुखण्ड ग्राम भारदलाउ में स्थित है जबकि जैर निगरानी भूखण्ड ग्राम सोमेसर में स्थित है। अथार्त खरीदसुदा भुखण्ड एवं जैर निगरानी भूखण्ड दोनो अलग अलग जगह स्थित है। ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी कब्जा सुदा रहवासी मकान मानते नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया जबकि अधिवक्ता प्रार्थीया ने उज्र किया कि मौके पर केवल खाली भूखण्ड ही है परन्तु इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीया ने ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे उनका कथन सिद्ध हो सके। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.04.2021 को ग्राम सोमेसर की आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय मकान का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी पालना में मिसल कायम की गयी। मौका निरीक्षण प्रपत्र पर नियुक्त पंचगणों में से केवल 1 पंच के ही हस्ताक्षर है शेष दो हस्ताक्षर किन्ही और वार्डपंच के है जबकि ग्राम पंचायत सम्पूर्ण राजस्थान पंचायती राज नियमो की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया। केवल मात्र एक तकनीकी त्रूटि के कारण जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 12/2021–2022, संकल्प संख्या 03 दिनांक 07.06.2021 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 हुलासी पत्नी पेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.06.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली